

01/09/21

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपास्थित।
मूल प्रकार निर्मित हो चुका है, लिखना
यह प्राचीन-पत्र चलने योग्य नहीं है।
यह प्राचीन-पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
ले कम हो व वाचिल पत्र हो।

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

